रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 18 दिसम्बर, 2006/27 अग्रहायण, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 2 दिसम्बर, 2006

संख्या टी0 पी0 टी0 एफ0 (1) 2/2001-11.--यतः हिमाचल प्रदेश राज्य तथा उतरांचल राज्य के मध्य एक दूसरे राज्यों के क्षेत्र में मंजिली गाड़ियां चलाने तथा अन्य परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उप-धारा 5 के अन्तर्गत 20 नवम्बर, 2006 को एक पारस्परिक परिवहन समझौता हुआ ।

2. अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (5) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त दोनों राज्यों के बीच हुए इस प्रारूप पारस्पारिक समझौते को, जो कि संलग्न है को उन लोगों, जो कि इससे प्रभावित हो सकते हैं की सूचना हेतु प्रकाशित करते हैं ।

3. हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्य के बीच हुए इस पारस्पारिक समझौते से संभवत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002, को इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर भिजवाएं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरि/-
प्रधान सचिव (परिवहन) ।

2726-राजपत्र/2006-18-12-2006—1,438. मूल्य : एक रुपया

उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश सरकारों के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौता

करार विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में उत्तरांचल के राज्यपाल (जिसे इसमें आगे "उत्तरांचल सरकार" कहा गया है) और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती.....भी है और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिसे इसमें आगे "हिमाचल प्रदेश सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख 28 नवम्बर, 2006 को किया गया।

चूंकि प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास तथा उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश की समीपस्थता ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया है कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय परिवहन को प्रोत्साहित किया जाए और उनके प्रचलन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाए।

इस करार के प्रयोजन के लिए :

(क) किसी मोटरयान के सम्बन्ध में "एकल बिन्दु मोटरयान कर" या "एकल बिन्दु कर आधार" से गृह राज्य में मोटरयान कर के संदाय करने का दायित्व अभिप्रेत है, किन्तु ऐसे दायित्वों में पारस्परिक करारकर्ता राज्यों में संदाय किये जाने वाली छूट भी सम्मिलित है, और अन्य कर (अतिरिक्त कर) दोनों राज्यों में संदेय होंगे,

(ख) किसी मोटरयान के सम्बन्ध में "द्विबिन्दु कर आधार" से दोनों राज्यों में मोटरयान कर/अतिरिक्त कर/टोल्स को सम्मिलित करते हुये सभी करों के संदाय का दायित्व अभिप्रेत है ; और

(ग) अधिनियम से मोटरयान अधिनियम, 1988 (समय-समय पर यथा संशोधित) अभिप्रेत है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि :—

1. जनभार वाहन/पैट्रोल टैंकर/गैस टैंकर (स्थायी अनुज्ञापत्र) :

(1) उत्तरांचल सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रत्येक राज्य से सम्बन्धित कुल 100 (सौ) मालयानों के लिये सम्बन्धित राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा एकल बिन्दु कर आधार पर अनुज्ञापत्र की वधता तक प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे। दोनों राज्यों के मध्य जन भार वाहनों का संचालन क्षेत्र निम्नवत् होगा—

(क) उत्तरांचल राज्य द्वारा जारी परमिट, हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस/गुड्स टैक्स व अन्य कर जो समय–समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिये वैध होंगे,

(ख) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी परमिट, उत्तरांचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस/गुड्स टैक्स व अन्य कर जो समय–समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर उत्तरांचल सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जान पर, सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के लिये वैध होंगे,

(ग) पैट्रोल या पैट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाले टैंकरों के लिये अनुज्ञापत्र पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा एकल बिन्दु के आधार पर सम्बन्धित सरकारों की प्रतिहस्ताक्षर फीस/गुड्स टैक्स व अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर सम्पूर्ण राज्य के लिये बिना किसी के निबंधन स्वतन्त्र रूप से प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे,

(घ) प्रतिहस्ताक्षर अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचलित होने वाले मालयानों का उपयोग अनन्यतः पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच माल को चढ़ाने और उतारने को छोड़कर अनन्यतः प्रति हस्ताक्षर करने वाले राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर माल के परिवहन का कोई भी कारबार करने से प्रतिषिद्ध किया जाएगा और वे ऐसी शर्तों के अधीन होंगे, जैसा अधिनियम की धारा 79 तथा 84 के अधीन सम्बन्धित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे ।

2. मालयान (अस्थायी अनुज्ञापन) :

(क) अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा (7) में उपबन्धित है कि धारा 88 की उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी एक प्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकारी धारा 87 के अधीन अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जो दूसरे राज्य में भी विधिमान्य होगा, उस सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से साधारणतया या विशिष्ट अवसर के लिये जारी किए जा सकेंगे ।

(ख) उक्त उपबन्धों के अधीन रहते हुए आवश्यकतानुसार दोनों में से किसी भी सरकारों द्वारा 14 दिन से अनधिक अवधि के लिये अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) या 87 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार फेरों की संख्या पर बिना किसी निर्बन्धन के और पारस्परिक करारकर्त्ता सरकार के परिवहन प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना द्विबिन्दु कर आधार पर मालयान अस्थाई अनुज्ञापत्र आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकेंगे ।

(ग) उपर्युक्त अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जायेंगे :—

(एक) पारस्परिक करारकर्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल को चढ़ाने और उतारने को छोड़कर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारबार को करना प्रतिषिद्ध होगा,

(दो) प्रचालक किन्हीं अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन अधिरोपित करना ठीक समझें, पालन करेगा ।

3. ठेका वाहन (मोटर कैब) :

पर्यटक और वाणिज्यिक व्यापार के विकास के हित में उत्तरांचल सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकारों की प्रत्येक राज्य से सम्बन्धित कुल 25 (पच्चीस) मीटर कैब पर्यटक परमिटों के लिये सम्बन्धित राज्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर करारकर्ता राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिये एकल बिन्दु के आधार पर अनुज्ञापत्र की वैधता तक प्रतिहस्ताक्षर किया जा सकेगा । ऐसे वाहनों का संचालन क्षेत्र निम्नवत् होगा,—

(अ) उत्तरांचल राज्य द्वारा जारी परमिट, हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस और अतिरिक्त कर/यात्रीकर अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये वैध होंगे ,

(ब) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी परमिट, उत्तरांचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस और अतिरिक्त कर/यात्रीकर अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर उत्तरांचल सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के लिये वैध होंगे,

(स) प्रतिहस्ताक्षर अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचलित होने वाले यात्री वाहनों का उपयोग अनन्यतः पारस्परिक करारकर्ता राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जाएगा,

(द) ऐसी वाहनों में एकल पार्टी के नाम में बुकिंग के आधार पर ही संचालन किया जाएगा,

(य) प्रत्येक ठेका गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट बैठने के स्थान से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. ठेका गाड़ी (मोटर कैब) (अस्थाई अनुज्ञा-पत्र):

एक सरकार के परिवहन प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अस्थायी अनुज्ञापत्र व्यतिकारी सरकार के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना, किसी विनिर्दिष्ट मार्ग के लिये जारी किया जा सकता है, ऐसे अस्थायी अनुज्ञा पत्रों की विधिमान्यता की अवधि 15 दिन से अधिक नहीं होगी तथा ऐसे परमिटों से आच्छादित यात्री वाहनों का उपयोग अन्नयतः पारस्परिक करारकर्ता राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त ऐसी वाहनों पर द्विबिन्दु कर आधार पर कर देय होगा और ऐसी वाहनों में एकल पार्टी के नाम में बुकिंग के आधार पर ही संचालन किया जाएगा ।

5. ठेका गाड़ी (मैक्सी कैब) (स्थाई अनुज्ञा-पत्र) :

पर्यटक और वाणिज्यिक व्यापार के विकास के हित में उत्तरांचल सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकारों के प्रत्येक राज्य से सम्बन्धित कुल 25 (पच्चीस) ठेका गाड़ी मैक्सी कैब के लिये सम्बन्धित राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा करारकर्ता राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिये एकल बिन्दु के आधार पर अनुज्ञापत्र की वैधता तक प्रतिहस्ताक्षर किया जा सकेगा । ऐसी वाहनों का संचालन क्षेत्र निम्वत् होगा.—

(अ) उत्तरांचल राज्य द्वारा जारी परमिट, हिमाचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस और अतिरिक्त कर/यात्रीकर अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिये वैध होंगे,

(ब) हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी परमिट, उत्तरांचल राज्य के प्रतिहस्ताक्षर फीस और अतिरिक्त कर/यात्रीकर अन्य कर जो समय-समय पर राज्य में लागू हों, परमिट धारक द्वारा जमा करने पर उत्तरांचल सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के लिये वैध होंगे,

(स) प्रतिहस्ताक्षर अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचलित होने वाले यात्री वाहनों का उपयोग अन्नयतः पारस्परिक करारकर्ता राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिदुओं के बीच यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जाएगा,

(द) ऐसी वाहनों में एकल पार्टी के नाम में बुकिंग के आधार पर ही संचालन किया जाएगा,

(य) प्रत्येक ठेका गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट बैठने के स्थान से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा ।

6. ठेका गाड़ी (मैक्सी कैब एवं ओमनी बस) (अस्थाई अनुज्ञा-पत्र) :

(1) एक सरकार के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्ता सरकार के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना, अधिनियम की धारा 87 के अधीन अस्थाई अनुज्ञापत्र आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकते हैं, ऐसे निम्नलिखित प्रयोजन के लिये जारी किये जा सकेंगे:—

(अ) विवाह और अन्य आरक्षित पार्टियों को ले जाने के लिये,

(ब) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षा टुअर ले जाने के लिये है

(2) ऐसे अस्थाई अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जायेंगे :—

(क) प्रत्येक ठेका गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट बैठने के स्थान से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा,

(ख) गाड़ी को एकल पार्टी द्वारा ही किराये पर लिया जायेगा और उसका उपयोग केवल एक वापसी यात्रा के लिये किया जायेगा,

(ग) अनुज्ञापत्र की विधिमान्यता पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी,

(घ) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र में बाहारी यात्रा और वापसी यात्रा का दिनांक स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जायेगा । यदि कोई पार्टी जिसने अस्थाई अनुज्ञापत्र पर कोई ठेका गाड़ी ली हो अनुज्ञापत्र दिये जाने के पश्चात् वापसी यात्रा के दिनांक में परिवर्तन करना चाहता है तो वह इस आशय की लिखित अनुज्ञा पर परिवहन प्राधिकारी से, जिसके अधिकारिता में तत्समय ठेका गाड़ी हो, अन्य राज्य की सामान्य फीस और कर का संदाय करके लेगी,

(ङ) ऐसी वाहनों पर द्विबिन्दु कर आधार पर कर संदेय होगा ।

7. अधिनियम की धारा 88(8) के अधीन विशेष (अस्थाई अनुज्ञा-पत्र) :

(1) केवल टूरिस्ट पार्टियों के सम्बन्ध में दोनों में से किसी सरकार के परिवहन प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा (8) के अधीन जारी किये जाने वाले विशेष अनुज्ञा-पत्रों की संख्या पर कोई निबंन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापत्र 30 (तीस) दिन की अधिकतम अवधि के लिये विधिमान्य होंगे । विशेष मामले में इनकी अवधि करारकर्ता सरकार द्वारा 60 (साठ) दिन तक बढ़ाई जा सकती है ।

(2) ऐसे अनुज्ञापत्रों में यथास्म्भव , पार्टी की सूची, यात्रा का सविस्तार कार्यक्रम भी होगा जिसमें क्रम से वे स्थान दिखाये जायेंगे, जहां भ्रमण किया जाना है। ऐसे अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत, आने वाली गाड़ियां अन्य राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर, यदि कोई हो, न तो यात्रियों को चढ़ाएगी और न उतारेगी ।

(3) यदि कोई पार्टी जिसने विशेष अनुज्ञापत्र पर कोई ठेका गाड़ी ली हो, मूल यात्रा क्रम में परिवर्तन करना चाहता है, तो वह उस परिवहन प्राधिकारी से जिसके राज्य क्षेत्र में तत्समय गाड़ी हो, अनुज्ञापत्र को संशोधित करायेगी ।

(4) गाड़ी को एकल पार्टी द्वारा ही किराये पर लिया जायेगा और उसका उपयोग केवल एक वापसी यात्रा के लिये किया जायेगा ।

(5) ऐसी वाहनों पर द्विबिन्दु कर आधार पर कर संदेय होगा ।

8. प्राइवेट सेवायान (स्कूल बसें एवं राजकीय उपक्रम एवं विश्वविद्यालय आदि की वाहनें :

प्राइवेट सेवायान स्कूल बसें एवं राजकीय उपक्रम एवं विश्वविद्यालय आदि की वाहनों के परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर करारकर्ता सरकार संख्या की प्रतिबन्धित सीमा के बिना परमिट की वैधता तक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी/विद्यार्थियों के परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकेंगे बशर्ते कि यह वाहन व्यवसायिक प्रयोग में नही लायी जा रही हो । ऐसी वाहनों के सम्बन्ध में राज्य का देय मार्गकर संदेय होगा ।

9. कराधान (प्राइवेट सेवायान को छोड़कर :

(1) सभी वर्ग की ऐसी परिवहन गाड़ियों के सम्बन्ध में, जो स्थायी अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आती हों और इस करार के अन्तर्गत किसी राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों, एकल बिन्दु कर प्रणाली के आधार पर कर जमा करेंगे ।

(2) अधिनियम की धारा 87 एवं 88 की उप-धारा (8) के अधीन जारी अस्थाई परमिटों एवं अन्य अस्थाई परमिटों पर द्विबिन्दु कर आधार पर कर जमा करेंगे ।

(3) स्थायी अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण विचाराधीन होने के दौरान जारी किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत आने वाली परिवहन गाड़ियां एकल बिन्दु के आधार पर कर देने पर प्रतिहस्ताक्षरित की जायेंगी ।

(4) ऐसे किसी वर्ग की मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में जो दोनों सरकारों में से किसी सरकार में, चाहे स्थाई अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करवा कर अथवा अस्थाई अनुज्ञापत्र पर प्रवेश करे, अतिरिक्त कर के संदाय से कोई छूट नहीं होगी ।

10. करों के संदाय का ढंग :

(क) अनुज्ञापत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थाई अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञापत्र को जारी करने से पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम पर लिखे गये डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं यद्यपि दोनों में कोई भी राज्य चैकपोस्टों पर अपने करों की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा,

(ख) प्रत्येक डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा अन्य राज्यों के करों को प्रेषित किया जा चुका है, अस्थायी अनुज्ञा-पत्र/विशेष अनुज्ञापत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जाएगी ।

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञापत्रों तथा विशेष अनुज्ञापत्रों की प्रतियां राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम लिये गये डिमाण्ड ड्राफ्टों अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित प्रोफार्मा में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला और उत्तरांचल राज्य सरकार की दशा में, ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्रों/ विशेष अनुज्ञापत्रों की प्रतियां मासिक अन्तराल पर डिमाण्ड ड्राफ्टों के साथ परिवहन आयुक्त (सेन्ट्रल पूल), उत्तरांचल, देहरादून को भेजी जायेंगी ।

क्रम संख्या	यान के स्वामी का नाम व पता	अनुज्ञापत्र क्रमांक	यान का पंजोयन चिन्ह	यान का सकल यान भार तथा यान में बैठने की क्षमता	अनुज्ञापत्र की वैधता से--तक	बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

11. परिवहन निगम की वाहनों के सम्बन्ध में :

उत्तरांचल सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अन्तर्राज्यीय मार्गों पर मंजिली गाड़ी के संचालन के सम्बन्ध में दोनों राज्यों में प्रस्तावित मार्गों की सूची, ट्रिप्सों की संख्या एवं संचालन कि0 मी0 का विवरण निम्नवत् है :—

1. उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में संचालित मार्गों का विवरण, रिर्टन, ट्रिप्सों की संख्या एवं प्रतिदिन संचाल न कि0 मी0 का विवरण निम्नवत् है :—

क0 सं0	मार्गों का नाम	रिटर्न ट्रिप्स प्रतिदिन	कि0 मी0	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	देहरादून——पौंटा वाया विकासनगर	06	12	
2.	देहरादून——पौंटा	01	02	
3.	देहरादून——शिमला वाया चण्डीगढ़	02	388	
4.	हरिद्वार——शिमला वाया चण्डीगढ़	02	388	
5.	देहरादून——मनाली	02	944	
6.	देहरादून–बैजनाथ वाया ज्वाला जी	02	370	
7.	देहरादून——ज्वाला जी	02	196	
8.	शिमला——रुपैडिया	04	776	
9.	शिमला——हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	02	388	
10.	हरिद्वार——मनाली वाया सहारनपुर——चण्डीगढ़	02	944	
11.	हरिद्वार——रोहड़ू	01	300	
12.	देहरादून——शिमला वाया सहारनपुर——चण्डीगढ़	01	194	
13.	श्रीनगर——शिमला वाया सहारनपुर——चण्डीगढ़	01	194	
14.	हरिद्वार——नाहन——शिमला	01	382	
15.	शिमला——टनकपुर वाया सहारनपुर——चण्डीगढ़	01	194	
16.	देहरादून——मनाली वाया नाहन	01	600	
17.	देहरादून——कटरा	01	288	
18.	देहरादून——शिमला वाया नाहन	01	382	
19.	रोहड़ू——टनकपुर वाया विकासनगर–कोटी मीनस (बार्डर) हिमाचल गुम्भ——फिडसपुल (बार्डर) उत्तरांचल–कुड्डू (बार्डर) हिमाचल——रोहड़ू	1/2	40	पारस्परिक सेवा (एक दिन एक बस उत्तरांचल की एवं दूसरे दिन एक बस हिमाचल की)
20.	धर्मशाला–टनकपुर——वाया हरिद्वार——सहारनपुर——चण्डीगढ़——रोपड़——नंगल मैहतपुर (बार्डर)——ऊना——अम्ब–नदौन–ज्वालामुखी——कांगड़ा——धर्मशाला	1/2	160	-तथैव-
21.	धर्मशाला——देहरादून वाया सहारनपुर——मण्डी——ज्वालामुखी	1/2	160	-तथैव-
22.	धर्मशाला——हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	1/2	160	-तथैव-
23.	मनाली——टनकपुर वाया चण्डीगढ़	1/2	236	-तथैव-
24.	हमीरपुर ——हरिद्वार	1/2	96	तथैव-
25.	ऊना——हरिद्वार	1/2	12	-तथैव-

1	2	3	4	5
26.	जसूर––हरिद्वार वाया ऊना––अम्ब––दौलतपुर––तलवाड़ा–धमेटा––राजा का तालाब–जसूर	1/2	124	पारम्परिक सेवा (एक दिन एक बस उत्तरांचल की एवं दूसरे दिन एक बस हिमाचल की)
27.	मण्डी––हरिद्वार	1/2	122	-तथैव
	योग ..	37-1/2	8052	

2. हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा उत्तरांचल राज्य में संचालित मार्गों का विवरण, रिटर्न, ट्रिप्सों की संख्या एवं प्रतिदिन संचालन कि0 मी0 का विवरण निम्नवत् है :––

क्र0 सं0	मार्गों का नाम	रिटर्न ट्रिप्स	कि0 मी0 प्रतिदिन	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	शिमला––हरिद्वार वाया नाहन	02	220	
2.	बैजनाथ––हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	02	108	
3.	हमीरपुर––हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	02	108	
4.	मनाली––हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	02	108	
5.	शिमला––हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	02	108	
6.	चम्बा––हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	02	108	
7.	सरकाघाट––हरिद्वार वाया चण्डीगढ़ नाहन	02	220	
8.	रोहडू–हरिद्वार वाया त्यूनी––चकराता	02	309	
9.	शिमला––देहरादून वाया नाहन	02	98	
10.	सुजानपुर–विकास नगर वाया चण्डीगढ़ नाहन	02	32	
11.	नालागढ़––हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	02	108	
12.	नाहन––पौंटा––सहारनपुर	02	44	
13.	देहरादून––मनाली	02	98	
14.	देहरादून––अमृतसर	09	98	
15.	देहरादून––धर्मशाला	02	98	
16.	सराहन––हरिद्वार	02	220	
17.	नूरपुर––हरिद्वार	02	108	
18.	धर्मशाला––हरिद्वार	02	108	
19	मण्डी––हरिद्वार	02	108	
20.	वैजनाथ––देहरादून	02	98	
21.	जुब्बल–हरिद्वार वाया शिमला––नाहन––देहरादून	02	220	
22.	शिमला–हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	01	108	
23.	शिमला––टनकपुर––वाया चण्डीगढ़	01	588	

1	2	3	4	5
24.	रिकांग पीओ0—हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	01	108	
25.	मनाली—हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	01	108	
26.	पालमपुर—हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	01	108	
27.	ज्वालाजी–हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	01	108	
28.	जसूर—हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	01	108	
29.	ऊना—हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	01	108	
30.	उहल—हरिद्वार वाया चण्डीगढ़ नाहन	01	220	
31.	सरकाघाट—हरिद्वार वाया चण्डीगढ़ – नाहन	01	220	
32.	चम्बा—देहरादून वाया चण्डीगढ़-नाहन	01	98	
33.	हारसीपट्टन—देहरादून वाया चण्डीगढ़-नाहन	01	98	
34.	तियुनी—ऊना	01	32	
35.	रोहडू—नटवार	01	118	
36.	शिमला—शांकरी	01	150	
37.	रोहडू—थ्रोच	01	82	
38.	रोहडू—झिकनीपुल	01	82	
39.	शिमला—क्यारनू	01	82	
40.	देहरादून—बैजनाथ वाया चण्डीगढ़ नाहन	01	98	
41.	नेरुवा—मिनस—कोटी–विकासनगर—हरिद्वार	01	350	
42.	देहरादून—नाहन—चण्डीगढ़—ऊना—पठानकोट-कटरा	01	98	
43.	पौंटा—हरिद्वार	01	220	
44.	पौटा—देहरादून	02	196	
45.	केलांग—हरिद्वार	01	108	
46.	रोहडू—टनकपुर वाया विकासनगर–कोटी–मीनस (बार्डर) हिमाचल–गुम्भ–फिडसपुल (वार्डर) उत्तरांचल–कुडूड (बार्डर) हिमाचल–रोहड़ू	1/2	438	पारस्परिक सेवा (एक दिन एक बस उत्तरांचल की एवं दूसरे दिन एक बस हिमाचल की)
47.	धर्मशाला–टनकपुर वाया हरिद्वार–सहारनपुर–चण्डीगढ़–रोपड़—नंगल—मैतपुर (वार्डर)—ऊना—अम्ब नदौन—ज्वालामुखी—कांगड़ा—धर्मशाला	1/2	294	-तथैव-
48.	धर्मशाला—देहरादून वाया सहारनपुर—मण्डी—ज्वालामुखी	1/2	14	-तथैव-
49.	धर्मशाला—हरिद्वार वाया चण्डीगढ़	1/2	54	-तथैव-
50.	मनाली—टनकपुर वाया चण्डीगढ़	1/2	294	-तथैव-
51.	हमीरपुर—हरिद्वार	1/2	54	-तथैव-
52.	ऊना–हरिद्वार	1/2	54	-तथैव-
53.	जसूर—हरिद्वार वाया ऊना—अम्ब—दौलतपुर—तिलवाडा–धमेटा—राजा का तालाब—जसूर	1/2	54	-तथैव-
54.	मण्डी—हरिद्वार	1/2	54	-तथैव-
	योग .	71—1/2	7633	

1. प्रत्येक अन्तर्राज्जीय मार्ग पर करारकर्ता सरकारों के लिए आबंटित फेरों की संख्या यथा सम्भव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले माईलेज/कि0 मी0 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार के प्रयोजन के लिए किसी फेरे से एक एकल फेरा अभिप्रेत है। वर्णित मार्गों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो सीमान्तों को जोड़ने वाला सबसे कम दूरी का सीधा मार्ग और उक्त प्रस्ताव में प्रदर्शित माईलेज/कि0 मी0 में बाद में पाई गई किसी विसंगति को दोनों सरकारों के परिवहन प्राधिकारियों के बीच तत्परता से। पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जायेगा और उसे करार के उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा।

2. प्रारम्भिक समय––सारिणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल अन्तिम आधार पर किया जायेगा, जो अधिकतम चार मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा को तत्काल प्रचालन करने के लिए प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इस कालावधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञा–पत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय–सारिणी को अन्तिम रूप देगा। समय-सारिणी निर्धारित करते समय गृह राज्य की मंजिली गाड़ी को पारस्परिक करारकर्ता राज्य की बस के आगे चलने के लिये प्राथमिकता देगा तथा मार्ग पर लम्बी दूरी की अन्तर्राज्यिक सेवा की समय–सारिणी में पर्याप्त अन्तराल होगा।

3. यह कि प्रस्ताव में चूंकि उल्लिखित मंजिली गाड़ी मार्ग पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत होने की दशा में पारस्परिक करारकर्ता राज्य की समझौते के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली परिवहन निगम की वाहनें ही अनुमन्य होंगी।

4. पारस्परिक कराकर्ता राज्य के अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित मंजिली गाड़ी सेवाओं का प्रत्येक 6 माह के अन्दर पुनर्विलोकन किया जाये।

5. प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले मार्ग पर संचालन के लिए लिया जाने वाला अधिकतम किराया और भाड़ा सम्बधित राज्य सरकारों द्वारा विहित किये गये के अनुसार होगा। एक राज्य में जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में विद्यमान समझा जायेगा।

6. स्थाई अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण का मामला विचाराधीन होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा(2) में दिये गये प्राविधानुसार पारस्परिक करारकर्ता सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा(1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी अस्थाई अनुज्ञा-पत्र पर आने वाली मंजिली गाड़ी एकल बिन्दु के आधार पर कर देने पर प्रतिहस्ताक्षर की जायेगी।

7. एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से इस करार के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली परिवहन निगम की बसों से अपने–अपने राज्य के कराधान अधिनियम के प्राविधानानुसार एकल बिन्दु कर प्रणाली के आधार पर संदेय कर की वसूली करेंगे।

8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल परिवहन निगम एवं प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त संचालन के अतिरिक्त आपसी सहमति व करार के पश्चात् भविष्य में किसी समय 1000 कि0 मी0 तक के संचालन की वृद्धि कर सकते हैं। उक्त वृद्धि मूल करार का ही भाग समझा जाएगा।

9. कुल्हाल और पौंटा साहिब के बीच दोनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार शटल सेवायें संचालित करेंगे। उक्त व्यवस्था भी मूल करार का ही भाग समझा जाएगा।

10. हिमाचल पथ परिवहन निगम की नाहन–पौंटा–देहरादून मार्ग पर संचालित सेवाओं द्वारा वाया हरबर्टपुर–प्रेमनगर संचालन किया जायेगा।

12. नियम :

एक राज्य के मूल अनुज्ञप्ति धारक के दूसरे राज्य में मतैक्यता के अनुसार संचालित यान (फीस और करों के संदाय संबंधी संदायों को छोड़कर) अपने पैतृक राज्य के नियमों से शासित होंगे तथा एक दूसरे राज्य में करारकर्ता राज्य के चैकिंग स्टाफ द्वारा चैक किये जा सकेंगे ।

13. साधारण :

(1) दोनों राज्य इस करार के निबन्धनों के अनुसरण में चल रहे यानों के सम्बन्ध में एक दूसरे राज्य के टोकनों रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों चालक एवं परिचालकों की अनुज्ञप्तियों, परिवहन यान को चलाने का प्राधिकार पत्र, स्वस्थता आदि के प्रमाण को मान्यता देंगे ।

(2) यह करार ऐसी तिथि को लागू होगा जैसा दोनों पक्ष आपसी सहमति से निर्धारित करेंगे और तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि दोनों सरकारों के बीच नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाये या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 06 माह की नोटिस देकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाए ।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार की ओर से श्री एन0 एस0 नपलच्याल ने और दूसरे पक्षकार की ओर से श्री अभय शुकला ने इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

प्रथम पक्षकार का नाम और पदनाम ने	राज्यपाल, उत्तरांचल की ओर से प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर ।
1. .....(साक्षी के हस्ताक्षर)	पदनाम.....
2. .....(साक्षी के हस्ताक्षर) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	कार्यालय.....
दूसरे पक्षकार का नाम और पदनाम ने	राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश की ओर से द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर ।
1. ..... (साक्षी के हस्ताक्षर)	1. पदनाम.....
2. .....(साक्षी के हस्ताक्षर) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	2. कार्यालय.....

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित